

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक- एक 5(पु)(10)एसीटीएडी /माडा /SCA/स.माथोपुर /2019-20 /

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
सवाई माथोपुर ।

विषय- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।
प्रसंग- प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 1584-97 दि. 14.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्स्ट्रिन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसकी अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए निम्न निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति लाख रु	अनुमत कन्स्ट्रिन्जेन्सी चाशि 1.5% (रु. में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय चाशि 1.25%(रु.में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित चाशि 0.25%(रु.में)	देय चाशि (प्रथम किश्त) लाख रु
		क्रमांक / दिनांक	चाशि लाख रु	क्रमांक / दिनांक	चाशि लाख रु					
1	1. सी.सी. रोड मय नाली निर्माण हनुमान मीना के मकान से हजारी सरपंच के नाला की ओर ग्रा.पं. भाडौली पं.स. बाँली	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1584-97 / 14.01.2021	10.00	1768/ 16.12.2020	9.94	9.94	14691.00	12242.00	2449.00	3.80
2.	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण मीणा हथार्ड से प्रेमराज मीना/ खिरनी रोड की ओर ग्रा.पं. भाडौली पं.स. बाँली		10.00	1767/ 16.12.2020	9.95	9.95	14706.00	12255.00	2451.00	3.80
3.	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण गणपत मीना के मकान से नालाकी मीणा व गोरेधन मीना की ओर ग्रा. पं. भाडौली पं.स. बाँली		10.00	1766/ 16.12.2020	9.95	9.95	14706.00	12255.00	2451.00	3.80
	योग		30.00		29.84	29.84	44111.00	36761.00	7361.00	11.40

9

राजस्थान सरकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सर्वाई माधोपुर से आयुक्तालय के पी.डी. खाते में प्राप्त राशि रु 11.00 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 86/2019-20 से आयुक्त कार्यालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध बचत राशि रूपये 0.40 लाख यानि कुल राशि रूपये 11.40 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सर्वाई माधोपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्यादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीका एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

॥
(डॉ. वी. सी. गर्गी)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

क्रमांक- एफ 5(ए)(10)एसीटीएडी/माडा/SCA/स.माधोपुर/2019-20/ 11982 - 95 दिनांक- 31/3/2021
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सर्वाई माधोपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सर्वाई माधोपुर से आयुक्तालय के पी.डी. खाते में प्राप्त राशि रु 11.00 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 86/2019-20 से आयुक्त कार्यालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध बचत राशि रूपये 0.40 लाख यानि कुल राशि रूपये 11.40 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सर्वाई माधोपुर को हस्तांतरित करावे।

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध बचत राशि रूपये 0.40 लाख यानि कुल राशि रूपये 11.40 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप), सवाई माधोपुर को हस्तांतरित करयें।

5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौली, जिला- सवाई माधोपुर।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. लेखाकार (माझा), कार्यालय हाजा।
8. माझा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. अभियंत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

